


ISSN: 2454-5503

# CHRONICLE OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

A Peer Reviewed Bimonthly International Journal

VOL. 4 NO. 6 SPECIAL ISSUE DECEMBER 2018 IMPACT FACTOR:4.197(IJIF)



2018-2019

*Special Issue On*

## PROBLEMS AND CHALLENGES BEFORE THE WORKING WOMEN

*Guest Editor*

**Dr. Vasant Satpute**

*Associate Editor*

**Dr. Sunita Tengse**

*Assistant Editor*

**Dr. M. B. Patil**



IMPACT FACTOR:4.197(IIJIF)

ISSN: 2454-5503

# CHRONICLE

OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES (CHCS)

VOL. 4

NO. 6

SPECIAL ISSUE

DECEMBER 2018

A Peer Reviewed Bimonthly International Journal

Special Issue On  
**PROBLEMS AND CHALLENGES  
BEFORE THE WORKING WOMEN**

*Guest Editor*

**Dr. Vasant Satpute**

*Associate Editor*

**Dr. Sunita Tengse**

*Assistant Editor*

**Dr. M. B. Patil**





*Mahatma Gandhi Education and Welfare Society's*

**CENTRE FOR HUMANITIES AND  
CULTURAL STUDIES, KALYAN (W)**

www.mgsociety.in +91 8329000732 Email: chcskalyan@gmail.com

19. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांचा लैंगिक छळ व राजश्री पांचाळ 93
20. प्रसूतीपूर्व लिंगनिर्दिष्ट प्रतिबंधक कायदा 1994 | डॉ. भारत भो. राठोड 97
21. नांदेड जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तराचा अभ्यास | शंकर सटवाराव जाधव 100
22. ग्रामीण भागात नौकरी करणाऱ्या महिलांच्या समस्या | ए. बी. वाळके 107
23. नौकरी करणाऱ्या महिलांच्या कौटुंबिक समस्या : एक अभ्यास | माने उषा यशवंतराव 112
24. कामकाजी महिला व पुरुषसत्ताक मानसिकता | डॉ. मोहन मिसाळ 117
25. महिलाओं की पारिवारिक समस्याएँ और मनोविज्ञान | डॉ. पांडुरंग दुकळे 120
26. हिन्दी कथा साहित्य में चित्रित कामकाजी नारी | डॉ. कुलकर्णी वनिता बाबुराव 124
27. कामकाजी नारी समस्या- सुझाव | डॉ. शारदा राऊत, अर्चना बदने
28. स्त्री चेतना और मानवाधिकार | डॉ. वडचकर एस.ए. 128
29. Legal Rights and Protection of Working Women | Dr. Ambadas Pandurang Barve 142
30. Dilemma of a Working Mother | Harsha Rana 147
31. Cyber Crime and the Working Women: A Critical Overview | Dr. Vasant D. Satpute 153
32. Problems Faced by Women in Workplace.... | Varma Vishal Parashram & Varma Priya Parashram 157
33. Mee Too Movement and Working | Dr. Ahilya Bharatrao Barure 161





## स्त्री चेतना और मानवाधिकार

डॉ. वडचकर एस.ए.

हिन्दी विभाग

कै. रमेश वरपुडकर महा. सोनपेठ, जि. परभणी

*अबला नहीं कहा जा सकता, अब विश्व की नारी की,  
राख समझना भूल बहुत है, छिपी हुई चिनगारी को //*

एक युग था भारतीय नारी का सारा जीवन घर की चारदीवारी के भीतर बीतता था | वह अपना पुरा समय और शक्ति चुल्हे चौके का काम करने, बर्तन मांड़ने, संतान का लालन-पालन करने में और गृहस्थी की देखभाल में बिताती थी | उसे गृह-लक्ष्मी, गृहणी कहकर उसके प्रति सम्मान भी प्रकट किया जाता था मध्यकाल के सामन्ती वातावरण में वह पुरुष की भोग्या, दासी मात्र बन कर रह गई | उसे पाँव की जुती समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा | परंतु आज बात कुछ बदल गयी है वह विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढने लगी, उच्च उपाधियाँ प्राप्त करने लगी, उसमें आत्मसम्मान, स्वावलंबन की भावना जगी, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने की लालसा उत्पन्न हुई तो चारदीवारी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर नौकरी करने के लिए निकल पड़ी |

नारी यह मूल विषय ही ऐसा है जो एक सार्वभौम और सार्वकालिक सामाजिक समस्या से सम्बद्ध है | नारी समस्या समाज की वह जीवन्त समस्या है, जो परिवार-परिवेश, ग्राम-नगर सर्वत्र उपस्थित है | यह ऐसा जीवन्त ज्वलन्त प्रश्न है, जो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को चिंतन करने के लिए विवश करता है | एक और उसे सृष्टी की सुन्दरतम वस्तु भी माना जाता है | उसका रूप ही उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ है फिर उसका आत्मगौरव, अकुष्टसेवा, त्याग कृती ही उसे महिमामयी बनाती है | उसकी मोहन छवि ने पुरुष चित्त को सदैव लुभाया है और उसकी सेवा त्याग वृत्ति ने अभिभूत किया है | भारतीय वाङ्मय में नारी - महिमा का गान हुआ ही है, भौतिकवादी सभ्यता का साहित्यकार भी उसके संग को प्रिय मानता है | गेटे का कथन है- "Society of women is foundation of good manners" लावेल की चिन्तनधारा गेटे से भी आगे है वे लिखते हैं - Earth's noblest thing is a women perfect."

देश को आजादी मिलने के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये और आजाद देश



की सरकारों ने महिलाओं के हितों में समय - समय पर अनेक कानून बनाये, शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया और बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया इस प्रकार से जनजागरण के जरिये महिलाओं ने अपने हक को पाने के लिए पुरुषोंद्वारा किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध अनेक आन्दोलनों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की, और समाज में पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की, देश में महिला के हितों के लिए महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के प्रति होनेवाले अन्याय के लिये संघर्ष करती है | २०१२ में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कामकाजी महिलाओं की भागीदारी कात्र २७% थी | अर्थात् कहने का मतलब यह है की इतना सब कुछ होने के बाद भी, आज भी महिलाओं की स्थिती में बहुतकुछ सुधार की आवश्यकता है | अभी तो अधिक तर महिलाओं को यह आभास भी नहीं है की वे शोषण का शिकार हो रही है और स्वयं एक अन्य महिला का शोषण करने में पुरुष समाज को सहयोग कर रही है |

किसी भी समाज की उन्नति जानने के लिए उस समाज की नारी की स्थिती को जानना सबसे अहेम बात है | वैदिक काल से लेकर आजतक हम नारी को लेकर जब विचार करते है तो लगता है की धीरे - धीरे नारी भोगवस्तु बनकर रह गई, जो समाज में भविष्य के लिए घातक है | समाज के सारे प्रतिबन्ध नारी पर है पुरुष के लिए किसी भी प्रकार की मर्यादा तय नहीं की गई है | पति चाहे कुमार्गी, दुराचारी, अत्याचारी ही क्यों न हों स्त्री को उसे मान्यता देनी होगी | समाज ने सभी जिम्मेदारीयाँ स्त्रियों के सिर पर पटक दी है | उपर से परिवार और समाज में अपना सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है हम जरूर कहते है की नारियों में बदलाव हो चुका है, किंतु सच बात यह है की उच्च शिक्षित परिवारों की महिलाओं की बात अलग है | मजदूर वर्ग में शिक्षा के अभाव में रूढीवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी अपमानित होती रहती है, आज विशेष बदलाव नहीं हो पाया है | महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से मध्य परिवार की महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्यों को अंजाम देने लगी है | डॉक्टर, वकील, पोलिस जैसे अनेकोक्षेत्रों में महिलाओं की बहुत मांग है | परन्तु हमारे समाज का ढांचा कुछ अलग है | महिला को कामकाजी होने के बाद भी नए प्रकार के संघर्ष से झूझना पड़ता है, उन्हे अपने कामकाज के साथ घर की जिम्मेदारी भी ठिक ढंगसे उठानी पड़ती है | उसके लिए उन्हें सवेरे जल्दी उठकर अपने परिवार के भोजन से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था करनी पडती है | दफ्तर से संध्या समय लौटने के बाद गृह कार्यों में लगना होता है | घर में सम्मान पाने घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्मनिर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखनेवालों से सामना करना पड़ता है, अनेकों टीका टिप्पणीयों, तानाकशी, घुरती निगाहों से सामना



करना पड़ता है। उदंड व्यक्तियों के छेड़खानियों से बचने के लिए उपक्रम करने होते हैं, कभी - कभी तो बलात्कार और पतिरोध का सामना करते वक्त हत्या का शिकार भी होना पड़ता है। अपने कार्य स्थल पर अपने ही बॉस या सहयोगियों से दुर्भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। संध्या समय अपने कार्यस्थल से लौटते समय अनेक प्रकार की आशंकाओं अनहोनी घटनाओं का शिकार भी मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना, जीवन को कष्ट दायक बनाते हैं। वेतन के मामले में भी महिलाओं का शिकार होता है जैसे - अंग्रेजी स्कूलों का वेतन। कम्पनियों, कारखानों का वेतन कोई सकारात्मक पहल की उम्मीद नहीं होती, अनेक बार तो वह अनेक दुर्व्यवहार का शिकार हो जाती है। आज भी पुरुष प्रधान समाज की सोच में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता साथ ही हमारी लाचार न्याय व्यवस्था के कारण यदि कोई महिला सरेआम किसी अत्याचार का शिकार होती है तो समाज के लोग उसका बचाव करने से भी डरते हैं। स्त्रियों के सारे अधिकार सुरक्षा के नाम पर छीन लिए गए स्वतन्त्रता नाम मात्र की रह गई। स्त्री के जीवन का दायरा घरकी चारदिवारी तक सीमित रहा।

वर्तमान समाज में नारी की समतुल्यता को लेकर बुलन्द नारे चलते हैं। किंतु व्यावहारिक रूप से आज भी पाषाण युग की स्त्री की भाँति नारी परतंत्र है। "यत्र नार्थस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता" कह कर प्राचीन काल में नारी की पूजा में देवता की उपस्थिति समझी जाती थी। लेकिन ऐसी नारी की भावनाओं को दमित करके समाज अब संतोषपाता है। फिर भी सभी काल के साहित्य चाहे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी कोटि का हो या किसी भी विधा का हो उसमें नारी जाति के मानसिक संवेगों, आन्तरिक अनुभूतियों, अतृप्त वासनाओं दिवास्वप्नों और असामान्य व्यवहारों का सम्यक चित्र उपस्थित करता है। उषा महाजन की कहानी पुल की नायिका पुरुष समाज को चेतावनी देती हुई कहती है आपके लिए मैं महज एक साधन हूँ? सोमेश तक पहुँचने के लिए एक पुल। नारी के बदलते रूप के कारण वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर निर्णय लेने लगी है। नारी की मानवी रूप में प्रतिष्ठा ही समाज के भविष्य को उज्ज्वल बना सकती हैं। इस सम्बन्ध में मृणाल पाण्डे लिखती हैं ३ स्त्री के अस्तित्व को, उसके पुरुष से जुड़े सम्बन्धों तक ही सीमित करके न देखा जाये, बल्कि पुरुष की ही तरह उसे भी मानवता का एक भिन्न तथा अनिवार्य और पूरक तत्व माना जाए। स्वतन्त्रता पुरुष के समान स्त्री का भी अधिकार है। पुरुष अपने आप में स्वतन्त्र है, परन्तु स्त्री की स्थिति ऐसे नहीं है। वह स्वतन्त्र होकर कहीं जाती, तो उसे समाज दुश्चरिणी घोषित करता है। चित्रा मुद्रगल की कहानी राणी माँ का चबूतरा की नायिका गुलाबी जीने के लिए बच्चों के पालन के लिए तनतोड़ मेहनत करती स्वावलम्बी स्त्री है। रात के समय जब वह काम पर जाती है तो लोग उसे गलत नजर से देखते हैं। यही हमारे समाज की स्थिति है।



गुलाबी के समान स्वावलंबी होकर जीना स्त्री का अधिकार है, पर स्त्री इससे भी वंचित है | प्रगति की इस दौड़ में जहाँ नारी आगे बढ़ रही है | वहाँ पुरुष समाज की किसी भी चुनौती से डरने वाली भी नहीं है | स्त्री - पुरुष सम्बन्ध में स्त्री, पुरुष की सहकर्मी बनाना चाहती है और अपनी गरिमा से जीवनपथपर आगे बढ़कर गौरव अर्जित करना चाहती है | इसके बारे में श्याम चरण दुबे ने कहा है | " नारी स्वतन्त्र व्यक्तित्व या स्वतन्त्र इकाई के लिए अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहती है | इस नारी स्वतन्त्र व्यक्तित्व में डॉ. प्रभा खेतान कहती. " स्त्री न स्वयं गुलाम रहना चाहती है, नही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है | स्त्री चाहती है - मानवीय अधिकार | स्त्री दृष्टि एक मानवीय दृष्टि है जो स्त्री - पुरुष भेद को मिटाकर दोनों में प्रतिष्ठा की समानता लाने की बात करती है |

निष्कर्षत :- कहा जा सकता है कि स्त्री चेतना और मानव अधिकार की जोरदार अभिव्यक्ति से ही समाज में मानव अधिकारों के हनन के प्रति नारी को जागृत किया सकता है |

संदर्भ

- १) आशा रानी व्होरा - भारतीय नारी : दशा, दिशा
- २) पुष्पावली खेतान - नारी अभिव्यक्ति और विवेक
- ३) डॉ. प्रभा खेतान - हंस - दिसम्बर १९९६
- ४) डॉ. मुदिता चन्द्रा - आधुनिक एवं हिन्दी कथा - साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप
- ५) श्यामाचरण दुबे - परम्परा, इतिहास बोध और संस्कृति
- ६) मृणाल पाण्डे - स्त्री, देह की राजनीति से देश की राजनीति तक :
- ७) मैत्रेयी पुष्पा - चाक
- ८) मधुमती - जून २०१७
- ९) प्रेमीला के. पी. - स्त्री अध्ययन की बुनियाद

□□□

  
**PRINCIPAL**  
**Late Ramesh Warpudkar (ACS)**  
**College, Sonpeth Dist. Parbhani**